

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2012-पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 12 NOV 2012

-: आदेश :-

निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता हैः-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	166 / 2012	श्री गगनदीप सिंगला आई.पी.एस. सहायक पुलिस आयुक्त, मालवीयनगर, जयपुर पूर्व, जयपुर।	गा/116, एवीएस गांधीनगर	28.2.2045

शर्तः-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास वन जाने की रिथति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी का आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी ।
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- श्री गगनदीप सिंगला, आई.पी.एस. सहायक पुलिस आयुक्त, मालवीयनगर, जयपुर पूर्व, जयपुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

इस विभाग के समर्थक आदेश दिनांक 8.10.2012 के क्रमांक 15 पर अंकित श्रीमती प्रिया बलराम शर्मा, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी जयपुर उत्तर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 139/2012 के आधार पर नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में राजकीय आवास संख्या गा/116, एवीएस गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया था जिसका कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
सासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- पुलिस आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी राज्यवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।

8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विधि नियम लिंगांगनगर, जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकोर्ट, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, छौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या—8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
12. श्री गगनदीप सिंगला, आई.पी.एस. सहायक पुलिस आयुक्त, मालवीयनगर, जयपुर पूर्व, जयपुर।
13. श्रीमती प्रिया बलराम शर्मा, आरए.एस. उप खण्ड अधिकारी जयपुर उत्तर।
14. निदेशक, उघान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—5) विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।



(मनोहरल वेरवा)
शासन सहायक सचिव